कृषक कल्याण में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान

डॉ. एस. चक्रवर्ती[1] डॉ. सी. पी. सुरेश[2]

[1]मौलिक और व्यावहारिक विज्ञान विभाग,
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान–कुंडली, हरियाणा।
[2]बागवानी विभाग, नॉर्थ–ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, तुरा कैंपस, मेघालय

भारत में खाद्य प्रसंस्करण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसके तीन प्रमुख कारण है–(1) भारतीय किसानों को देश के भीतर और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ना, (2) उन्हें अपनी उपज को ऊंची दरों पर बाजार में लाने में सक्षम बनाता है, क्योंकि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का सामान्य रूप से कच्चे माल की तुलना में अधिक अधिक मूल्य मिलता है, (3) प्रसंस्करण से खाद्य उत्पादों की शैल्फ अवधि बढ़ जाती है, जिससे किसानों को अपने माल का विपण न करने में अधिक समय मिल जाता हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा राज्य सभा में हाल ही में दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के योगदान में लगातार वृद्धि देखी गई है। इस क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) बढ़ रहा है। वर्ष 2014–15 में 1.34 लाख करोड़ रु. से बढ़ कर वर्ष 2020–21 में 2.37 लाख करोड़ रू. हो गया है जो 9.97 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त "भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग: कोविड–19 महामारी के बादविकास के अवसर" शीर्षक वाले के पी एमजी प्रतिवेदन के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि यह क्षेत्र 2025 तक 535 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्य प्राप्त करेगा, जोकि 15 प्रतिशत का चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) प्रदर्शित करेगा। यह प्रतिवेदन प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता को रेखांकित करता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, छोटे और सीमांत किसानों को खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करना आवश्यक है। इसके लिये लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण गतिविधियों में सम्मिलित करना आवश्यक है ताकि वो अधिक लाभ कमा सकें।

ऐसे कई माध्यम हैं जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण किसानों की आय में वृद्धि में योगदान कर सकता है:

किसानों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मूल्य श्रृंखला के भीतर परस्पर जुड़े लिंक. किसान प्रमुख खाद्य निर्माताओं के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिससे वे अपनी उपज सीधे इन बड़ी संस्थाओं को बेच सकेंगे। इसका उदाहरण 2016–17 की अवधि के दौरान तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिला क्लस्टर में उल्लेखनीय रूप से देखा गया। जहां 90 प्रतिशत से अधिक किसानों ने सीधे या स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से पास के सामान्य प्रसंस्करण कर्ता के साथ सम्बंध स्थापित किए। इस संदर्भ में एक मौखिक समझौता संस्थागत तंत्र के प्रचलित रूप के रूप में उभरा। जिन किसानों को प्रसंस्करण उद्योग के साथ एकीकृत किया गया था, उन्होंने प्रसंस्करण उद्योग से असम्बद्ध अपने ही क्षेत्र के किसानों की तुलना में लगभग 49 प्रतिशत औसत आय वृद्धि प्राप्त की (वेंटाकेश एवं अन्य 2017)।

https://doi.org/10.52151/aet2023473.1680

मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति 2019 के प्रारूप के अनुसार, एक प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया में कई प्रकार के अनुमोदन, किसानों को खाद्य प्रसंस्करण द्वारा मूल्य संवर्धन के लाभों को भुनाने में बाधक सिद्ध होती है। इसलिए, राज्य सरकारों को किसानों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने में सुविधा प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। इसमें कृषि के समान लाभ प्रदान करना जैसे पानी, बिजली और ब्याज छूट तक अनुकूल पहुँच सम्मिलित हैं। प्रगतिशील महिला किसानों और कृषि उद्यमियों की सफलता की कहानियाँ 2021–22 के संदर्भ में, श्रीमती रोजा मरांडी, मेयरबंध, पाकुड़, झारखंड ने केवीके, पाकुड़ में प्रशिक्षण के बाद इमली की मीठी चटनी प्रसंस्करण की स्थापना की। इससे उसकी आय में 12 प्रति ात की वृद्धि हुई है, अर्थात कच्ची इमली (140 किग्रा) की बिक्री से उसे केवल रु. 2800 मिलते थे, जबकि इमली की समान मात्रा को मीठी चटनी में परिवर्तित करके वह रू० 33600 कमाने में सफल रही।

फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान की रोकथाम

भारत में, फसल कटाई के बाद और परिवहन में होने वाली हानि, कुल खाद्य हानि का लगभग 40 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक आंकड़ा 28 प्रतिशत का है। इससे किसानों की आय में अधिक कमी आ जाती है। यह प्रभाव विशेष रूप से फलों और सब्जियों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों पर स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे किसानों को उच्च उत्पादन का लाभ नहीं मिल पाता, जो वे संभावित रूप से प्राप्त कर सकते थे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किए गए "भारत में कृषि उत्पादों के फसल कटाई के बाद के नुकसान का निर्धारण करने के लिए अध्ययन" की रिपोर्ट NABCONS (2022) में फसल कटाई के बाद उन्नत प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें खेत और बाजार दोनों स्तरों पर मूलभूत ढाँचे का विकास भी सम्मिलित है। विशेष रूप से, खेत स्तर पर, किसानों को उनकी कटाई के बाद की हानियों को कम

करने के लिए यांत्रिक हार्वेस्टर, थ्रेशर और पैकेजिंग सामग्री के लिए सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

किसानों के लिए सरकारी खाद्य प्रसंस्करण योजनाएं

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के पास 2026 तक लागू पीएम किसान संपदा योजना–कृषि–समुद्री प्रसंस्करण और कृषि–प्रसंस्करण क्लस्टर विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना है। इस योजना के घटक में (1) मेगाफूडपार्क, (2) एकीकृत कोल्डचेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (3) कृषि–प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना, (4) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, (5) खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार, (6) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और (7) मानव संसाधन और संस्थान शामिल हैं।

इस पहल की कल्पना एक समग्र पैकेज के रूप में की गई हैए जिसका उद्देश्य फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक फैले सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को एकीकृत करते हुए समकालीन आधारभूत संरचना की स्थापना करना है। इस योजना के तत्व न केवल देश के भीतर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विस्तार में योगदान करते हैं बल्कि किसानों के लिए रिटर्न बढ़ाने का भी काम करते हैं। किसानों की आय दो गुनी करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

वस्तुतः, भारत में खाद्य प्रसंस्करणए कृषि उपज में पर्याप्त मूल्य संवर्धन कर के किसानों की आय मेंउल्लेखनीय वृद्धि करने की क्षमता रखता है। भंडारण और परिवहन की आधारभूत संरचना में वृद्धि और सुदृढ़ बाजार संबंध स्थापित करके, किसानों को प्रसंस्करण गतिविधियों में सम्मिलित करके, उनकी आय बढ़ाने के लिए व्यावहारिक उपाय अपनाये जा सकते हैं।

कोविड–19 महामारी के बाद, प्रसंस्कृत भोजन के प्रति उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं में एक स्पष्ट बदलाव सामने आया है। अनुमान है कि इस बदलाव से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा, जिससे किसानों को प्रमुख उत्पादकों की मूल्य श्रृंखला में सम्मिलित होने के अवसर उत्पन्न होंगे।

यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि लाभ अपेक्षित लाभार्थियों, विशेष कर छोटे और सीमांत किसानों तक समान रूप से पहुँचाया जाए। वर्तमान और तात्कालिकता आवश्यकता की आपूर्ति हेतु नीतिगत हस्तक्षेप या सतर्कता पूर्वक निर्मित कार्य योजना समय की माँग है।

संदर्भ

About PMKSY Scheme https://www.mofpi.gov.in/Schemes/about-pmksy-scheme#:~:text=Now%20Government%20of%20India%20(GOI,the%2015th%20Finance%20Commission%20cycle.

Bhasin M., Food processing impact on doubling farmers' https://kpmg.com/in/en/home/insights/2021/09/food-processing-mantra-doubling-farmers-income.html#:~:text=Food%20processing%20can%20be%20India%27s,agriculture%20produce%20through%20processing%20technologies.

Draft National Food Processing Policy 2019 https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/draft-nfpp_0.pdf

Food processing sector's contribution in GDP https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1848839

NABCONS (2022). Study to determine post-harvest losses of agri produces in India. https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/study_report_of_post_harvest_losses.pdf

Success Stories of Progressive Women Farmers and Agripreneurs 2021-22 by Ministry of Agriculture & Farmers Welfare Department of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India. https://agricoop.nic.in/Documents/Success-Story-For-approval.pdf

Venkatesh, P. & Balasubramanian, M. & Praveen, K.V. & Aditya, K.S. & Vijai Babu, D. & Nithyashree, M.L. & Kar, Amit, 2017. "Agro-Processing Industry and Farmers' Linkages: Pattern and Impact on Enhancing Farmers' Income in Tamil Nadu," Agricultural Economics Research Review, Agricultural Economics Research Association (India), vol. 30(Conferenc).